न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 238 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्रीमती चन्द्रा पत्नि श्री शेरसिंह निवासी– समदडी, तहसील सिवाना हाल–गोल्फ कोर्स, रातानाडा, जोधपुर		1. सूरजपाल सिंह पुत्र हनवन्तसिंह निवासी– अम्बो का बाडा, तहसील समदडी, बाडमेर। 2. शम्भूसिंह पुत्र विडदसिंह निवासी– पिण्डारण तहसील पचपदरा, बाडमेर। 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार समदडी, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश कमांक राजस्व / पीजीकेएस / 2021 / 627–32 दिनांक 16.11.2021 जो अनवान सूरजपालसिंह बनाम राज्य में उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा कैम्प कोर्ट रावडी में पारित किया गया।

उपस्थितीः---

1. श्री बी0 आर0 चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलार्थीया ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व / पीजीकेएस / 2021 / 627–32 दिनांक 16.11.2021 अनवान सूरजपाल सिंह बनाम राज्य में पारित किये गये है, के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 449 रकबा 05.02 बीघा किस्म रेतली ग्राम समदडी में आई हुई है जो उनके द्वारा रामाराम पुत्र चौथाराम चौधरी से वर्ष 2005 में खरीद की थी, तब से वह

उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर पूर्व में ही ऑनलाईन तरमीम की गई और बिना भौतिक सत्यापन व माप पैमाईश किये ही नये ख0सं0 अंकित करते हुए ख0सं0 635/ 449 रकबा 05.02 बीघा एवं ख0सं0 636/449 रकबा 01.10 बीघा अंकित करते हुए तरमीम कर दी गई। तरमीम कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त तरमीम शुदा खसरा दर्शाया जाकर उसी खसरे का रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को बेचान किया जाता है तथा रेस्पो0 द्वारा भूमि के खरीद किये जाने के बाद बिना भौतिक कब्जा प्राप्त किये ही एक प्रार्थना पत्र पक्की पत्थरगढी किये जाने का अधिनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट रातडी के समक्ष धारा 111, 128 का पेश किया गया, जिसमें उक्त भूमि में माठे खुर्द बुर्द एवं सीमा विवाद पडौसी खातेदारान का बता कर पेश किया, साथ ही उसमें किसी भी पडौसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2021 को स्वीकार करते हुए पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया।

3. अपीलार्थीया अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इस कार्यवाही बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया, और कैम्प कोर्ट में पत्रावली ले जाकर एकतरफा आदेश पारित कर दिया। ऐसे में वह अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की बिना पैमाईश व बिना सीमाज्ञान करवाये ही इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त भूमि में पटवारी व तहसीलदार की मिलीभगती से पूर्व में बिना भौतिक सत्यापन किये खसरों का शुद्धिकरण कर नये खसरे नम्बर बनाये गये और उसी भूमि में नये खसरे नम्बर के आधार पर तरमीम दर्शाई जाकर कथाकथित मात्र कागजी बेचान के आधार पर उक्त भूमि खरीद कर तरमीम हेतु आदेश प्राप्त कर लिया।

4. अपीलार्थीया अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट का उक्त भूमि का वक्त खरीद समय से ही 05 बीघा 02 बिस्वा पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा बाड बनाकर पेड पौधे इत्यादि लगा दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही सीधे ही तहसीलदार को मोका कमिश्नर नियुक्त करते हुए पुलिस इमदाद

के साथ वादग्रस्त भूमि पर पक्के नेखम करने की कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिये गये जो धारा 121 व 128 में किसी प्रकार से प्रावधान निर्धारित नही किये गये है, इसके लिये राजस्व नियमों का अलग से प्रावधान निर्धारित किया हुआ हैं। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने की कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

5. हमने अपीलार्थीया के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलार्थीया ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा संख्या खसरा संख्या 449 रकबा 05.02 बीघा किस्म रेतली भूमि ग्राम सगदडी को पूर्व व्यक्ति रामाराम पुत्र चौथाराम चौधरी से क्रय की थी जिसके नये खसरा संख्या 635/449 रकवा 05 बीघा 02 बिस्वा एवं ख0सं0 636/449 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा को बिना भौतिक सत्यापन एवं बिना माप पैमाइश किये ही सीधे नये उपरोक्त खसरा नम्बर अनुसार अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये ही राजस्व रेकर्ड में आनलाईन तरमीम कर दी गई, उनका यह भी कथन है कि तथाकथित उक्त रकबा मौके पर है ही नहीं।

6. हमारी विनम्र राय में किसी पक्षकार की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में उपरोक्त सभी आब्जर्वेशनों पर मनन करने के उपरान्त वादग्रस्त खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने तथा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य (भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, व कब्जा इत्यादि के) प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात तथा अपील में आब्जर्वेशनों के दृष्टिगत उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा कि तत्पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करे।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में उल्लेखित रकबा भूमि के खातेदारान/पक्षकारान को अपना–2 पक्ष/साक्ष्य दस्तावेज(भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, व कब्जा इत्यादि के) प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता होती हो तो नये सिरे से 01 माह की अवधि में पुनः यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 8 दिसम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/12/21

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर